प्रेषक,

मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,

एस.पी.एम.यू., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

कानपुर, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, आगरा, बरेली, गोरखपुर, इलाहाबाद।

पत्रांकः एस.पी.एम.यू./नर्सिंग सेल/14/2015–16/3724-8 दिनांकः 25-7-16

विषयः Strengthening of Pre-service Education and Midwifery कार्यक्रम के अंतर्गत कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स में संविदा पर नवनियुक्त मानव संसाधन के कार्य एवं दायित्व एवं परियोजना कियान्वयन सम्बंधी दिशा–निर्देश।

महोदय,

आप अवगत है कि आर0एम0एन0सी0एच+ए0 गतिविधियों की गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने के लिये चिकित्सकों के अतिरिक्त ए0एन0एम0 एवं स्टॉफ नर्स की अहम् भूमिका है। प्रदेश के नवीन परिदृश्य में ए0एन0एम0 एवं स्टाफ नर्सो के प्रशिक्षण कार्यकम में तकनीकी बदलाव एवं गुणवत्तापरक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिये प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक तकनीक, उपकरणों से सुसज्जित कर सुदृढ़ किया जा रहा है।

परियोजना का उद्देश्यः

- परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजुकेशन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कालेज ऑफ नर्सिंग, जी0एन0एम0 स्कूल्स एवं ए0एन0एम0टी0सी0 को सुदृढ़ करना है, जिससे की उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल स्किल्स सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षु नर्स/मिडवाईफ्स को प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास किया जा सके।

कियान्वयन रणनीतिः–

- प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन के अर्न्तगत चयनित कालेज आफ नर्सिंग /जी0एन0एम0 स्कूल में स्किल लैब की स्थापना की जा रही है, जिसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल्स स्किल्स की जानकारी प्रदान की जायेगी।
- परियोजना के अर्न्तगत कालेज आफ नर्सिंग–एस0वी0बी0पी0 मेरठ, बी0एच0यू0 वाराणसी एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स में नर्सिंग मिडवाईफिरी ट्यूटर्स एवं नर्सिंग ट्यूटर्स की तैनाती शासन स्तर से की गई है, लेकिन उक्त स्कूल्स में फैकल्टी की कमी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य के माध्यम से संविदा पर ट्यूटर्स/फैकल्टी की तैनाती की जा रही है जिससे कि आई0एन0सी0 मानको के अनुरुप अध्यापन कार्य पूर्ण कराया जा सके।

कार्य एवं दायित्वः– परियोजना के अर्न्तगत चयनित मानव संसाधन के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैः–

1. **नर्सिंग मिडवाईफिरी ट्यूटर्सः–** नर्सिंग मिडवाईफिरी ट्यूटर्स, चयनित कालेज आफ नर्सिंग स्कूल के प्रधानाचार्य के अधीनस्थ कार्य करेंगें तथा प्रधानाचार्य द्वारा इनके बैठने की व्यवस्था नर्सिंग स्कूल्स में की जायेगी। इनके प्रमुख कार्य निम्नवत् हैः–

- कालेज आफ नर्सिंग स्कूल्स तथा उससे सम्बद्ध जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 स्कूल्स की प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा फैकल्टी/क्लीनिकल सेवाप्रदाताओं की क्षमता विकास के लिए भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार आर0एम0एन0सी0एच0 पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगें।
- कालेज आफ नर्सिंग स्कूल्स से सम्बद्ध जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 स्कूल्स में स्किल लैब, आई0टी0 लैब एवं लाइब्रेरी आदि की स्थापना कराने में फैकल्टी को सहयोग करेंगे तथा प्रशिक्षण कक्ष, स्किल लैब, उपकरणों, आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री की आपूर्ति एवं छात्र/छात्राओं के परीक्षा अभिलेख एवं अन्य अभिलेखों को व्यवस्थित रखने साथ शिक्षण सामग्री तैयार करना सहयोग प्रदान करेंगें।
- आई0एन0सी0 द्वारा अनुमोदित 10 दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल्स पर जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 स्कूल्स की फैकल्टी को प्रशिक्षण प्रदान कर मास्टर ट्रेनर के रुप में विकसित करेंगें।

- आई0एन0सी0 द्वारा अनुमोदित छः सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रयोग करते हुए जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 स्कूल्स की फैकल्टी का क्लीनिकल एवं शैक्षिक क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करेंगें तथा अपने सुपरविजन में Competency Assessment करेंगें।
- आई0एन0सी0 द्वारा अनुमोदित मानक के अनुसार जी0एन0एम0/एन0एम0टी0सी0 में विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों के नियोजन, आयोजन, सत्रों की मॉनिटरिंग हेतु भ्रमण तथा अनुश्रवण में सहयोग करेंगें।
- उक्त के अतिरिक्त प्रधानाचार्य द्वारा आबंटित अन्य कार्यों का सम्पादन करेंगें तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत विस्तृत कार्य एवं दायित्व का विस्तृत विवरण अनुपालनार्थ संलग्न है **(संलग्नक '1')**।

2. **नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्सः–** नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स चयनित कालेज आफ नर्सिंग/जी0एन0एम0 स्कूल्स के प्रधानाचार्य के अधीनस्थ कार्य करेंगे तथा प्रधानाचार्य द्वारा इनके बैठने की व्यवस्था नर्सिंग स्कूल्स में की जायेगी। इनके प्रमुख कार्य निम्नवत् हैः–
   - आई0एन0सी0 के पाठ्यक्रम एवं भारत सरकार के नवीनतम् आर0एम0एन0सी0एच0+ए0 प्रोटोकॉल के अनुसार छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षित करेंगें।
   - नर्सिंग कालेज/जी0एन0एम0 स्कूल में गुणवत्ता सुधार प्रकिया को सुविधाजनक बनाने हेतु आई0एन0सी0 मानकों को लागू करने में मद्द करेंगें।
   - शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन, कियांवयन एवं मूल्यांकन के साथ क्लीनिकल/मास्टर रोटेशन प्लान तैयार करने तथा विषय वस्तु की समय–सारणी विकसित करने में प्रधानाचार्य को मद्द करेंगें।
   - स्किल लैब में छात्र/छात्राओं को ऑनसाइट कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य भी करेंगें ।
   - उक्त के अतिरिक्त प्रधानाचार्य द्वारा आबंटित अन्य कार्यों का सम्पादन करेंगें तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत विस्तृत कार्य एवं दायित्व का विस्तृत विवरण अनुपालनार्थ संलग्न है **(संलग्नक '2')**।

3. **कार्यक्रम सहायकः–** कार्यक्रम सहायक चयनित कालेज आफ नर्सिंग स्कूल के प्रधानाचार्य के अधीनस्थ कार्य करेंगे तथा प्रधानाचार्य द्वारा इनके बैठने की व्यवस्था नर्सिंग स्कूल्स में की जायेगी, इनके प्रमुख कार्य निम्नवत् हैः–
   - कार्यक्रम सहायक का दायित्व होगा कि वह कालेज आफ नर्सिंग स्कूल्स की आई0टी0 लैब के उपकरणों जैसे–कम्प्यूटर एवं यू0पी0एस0 आदि का रखरखाव सुव्यवस्थित रखेंगे, साथ ही शिक्षण के दौरान प्रयुक्त होने वाली प्रशिक्षण सामाग्री जैसे– वीडियों, पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन करने में सहयोग करेंगें।
   - कालेज आफ नर्सिंग एवं सम्बद्व जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 स्कूल्स से समस्त रिपोर्टस एम0एस0 एक्सल, एम0एस0 आउटलुक एवं एम0एस0 वर्ल्ड आदि पर तैयार कर प्रधानाचार्य को उपलब्ध करायेंगें।
   - प्रशिक्षण गतिविधियों को सम्पादित कराने हेतु कालेज आफ नर्सिंग से सम्बद्व जी0एन0एम0/ए0एन0एम0टी0सी0 से समन्वय करना, लॉजिस्टिक व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा फैकल्टी के सहयोग से प्रशिक्षित कर्मियों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु कम्प्यूटरीकृत ट्रैकिंग प्लान तैयार करेंगें।
   - कालेज आफ नर्सिंग एवं सम्बद्व जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 स्कूल्स की आई0टी0 लैब को स्थापित करने में सहयोग एवं मार्गदर्शन करेंगें।
   - प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु प्रशासनिक और वित्तीय गतिविधियों में प्रधानाचार्य की मद्द करेंगें।
   - उक्त के अतिरिक्त प्रधानाचार्य द्वारा आबंटित अन्य कार्यों का सम्पादन करेंगें तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत विस्तृत कार्य एवं दायित्व का विस्तृत विवरण अनुपालनार्थ संलग्न है **(संलग्नक '3')**।

प्रशिक्षणः–आर0एम0एन0सी0एच+ए0 गतिविधियों की गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने के लिये नर्सिंग मिडवाईफिरी ट्यूटर्स/नर्सिंग ट्यूटर्स को निम्न प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे।

1. चयनित समस्त नर्सिंग फैकल्टीस के कार्य एवं दायित्व एवं प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन को सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका पर एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में शीघ्र किया जायेगा।

2. नेशनल/राज्य नोडल सेन्टर्स में छः सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण एन0एच0एम0 के माध्यम से प्रदान कराया जायेगा।
3. नर्सिंग फैकल्टीस को 6 दिवसीय प्रशिक्षण Trained Nurses Association of India (TNAI), Noida में कराया जायेगा।
4. जनपद स्तर पर नियुक्त फैकल्टीस का क्लीनिकल स्किल्स स्टैन्डराईजेशन (सी0एस0एस0)/दक्षता प्रशिक्षण के माध्यम से समय–समय पर जपाइगो के अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा।

नोडल अधिकारीः–

जनपद स्तर पर प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन को क्रियान्वित करने के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कालेज आफ नर्सिंग/जी0एन0एम0 स्कूल्स के प्रधानाचार्य से समन्वय स्थापित कर ससमय गतिविधि को सम्पन्न कराने में सहयोग करेगें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा है कि वह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर उनका नाम, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0, एस0पी0एम0यू0 की नर्सिंग सेल की ई–मेल आई0डी0 (spmunursingcellup@gmail.com) पर भेजना सुनिश्चित करें।

अनुबंध की कार्यवाही :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन कार्यक्रम में चयनित नर्सिंग मिडवाईफिरी ट्यूटर्स, नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स एवं कार्यकम सहायको को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा पर नियमानुसार तैनात किये जाने की कार्यवाही सम्बंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से की जायेगी।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया नर्सिंग कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत प्रत्येक तीन माह में निदेशक नर्सिंग, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा, एस0पी0एम0यू0 एवं तकनीकी सहयोग के लिए अनुबंधित जपाईगो संस्था के अधिकारियों द्वारा फैकल्टी का आर0एम0एन0सी0एच0+ए0 गतिविधियों में Competency Assessment एवं कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

वित्तीय व्यवस्थाः–

प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी कार्यकम के अर्न्तगत संविदा पर नियुक्त नर्सिंग मिडवाईफिरी ट्यूटर्स, नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स एवं कार्यकम सहायक को एफ0एम0आर0 मद ए.9.10.1 से मानदेय की धनराशि निम्नानुसार देय होंगीः–

1.	नर्सिंग मिडवाईफिरी ट्यूटर्स	रु0 45,000/– प्रतिमाह
2.	नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स	रु0 35,000/– प्रतिमाह
3.	कार्यक्रम सहायक	रु0 22,660/– प्रतिमाह

प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन मद में अवमुक्त धनराशि का उपयोग उन्ही मदों में किया जाएगा, जिनके लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है। वित्तीय दिशा निर्देश निम्नवत् हैंः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत धनराशि का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को सुरक्षित रखेंगे एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट ऑडिटर, स्टेटच्यूरी ऑडिटर, महालेखाकार की ऑडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशानिर्देशानुसार निर्धारित समस्त गतिविधियाँ ससमय सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

<u>Contact Person from Directorate, SPMU, & Jhpiego:</u>

1. Director (Nursing)- e-mail id- dirnursing.dgmh@gmail.com
2. SPMU- Mr. D.C. Tripathi, Incharge Nursing Programme, SPMU, 8005192925, e-mail Id-spmunursingcellup@gmail.com
3. Dr. Ashish Maurya, SPO, Jhpiego, 7830334977 e-mail id-ashish.maurya@jhpiego.org

<u>संलग्न : समस्त कर्मियों के विस्तृत टी0ओ0आर0</u>

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक : एस.पी.एम.यू. / नर्सिंग सेल / 14 / 2015–16 /   तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0 उत्तर प्रदेश,।
7. सम्बंधित मण्डलीय अपर निदेशक, (चि0 स्वा0 एवं प0 क0), उत्तर प्रदेश।
8. सम्बंधित जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
9. सम्बंधित प्रधानाचार्य, सम्बंधित कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स, उत्तर प्रदेश।
10. सम्बंधित मण्डलीय / जनपदीय परियोजना प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य प्रतिनिधि जपाइगो, उत्तर प्रदेश।

(डा0 मधु शर्मा)
महाप्रबन्धक,नियोजन